

क्रि. नं. 1111. 5. 6430

परिशिष्ट-01

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इकतीस'

[17/3/2016]

प्रश्न सं. [क. 6430]

अ.क.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना	स्थापना स्थान	कब से कब तक
1	श्री ए.ए.डी. सिंह,		खरगोन	27.05.2015
2	श्री मति प्रीति शर्मा		खरगोन	23.02.2010
3	श्री सतोष कुमार परमार		खरगोन	28.12.2010
4	श्री अजय कुमार सिंह		बडवा	07.11.2011
5	श्री अरुण कुमार ठाकुर		सनाव	23.12.2010
6	श्री प्रकाश सिंह आस्के		खरगोन	28.05.2015
7	श्री राजेन्द्र प्रसाद		भीकनगर	25.07.2015

म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, संभागीय कार्यालय-खण्डवा

मध्यप्रदेश विधानसभा प्रश्न क्रमांक 6430 के बिन्दु क्रमांक ख की जानकारी खरगोन जिले में कहाँ कहाँ एवं कौन कौन सर्टिफिकेशन ऑफिसर तदस्थ है ?

(Amber Daffseed)

MS

C. S. Prasad

बीज प्रमाणीकरण अधिकारी

खण्डवा

अनुभाग अधिकारी

मं ५० कलम

कृषि विभाग (आखा-2).

विधानसभा तारांकित प्रश्न सं. 6430

परिशिष्ट-2

मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल  
विधानसभा प्रश्न क्रमांक 6430 तारांकित के बिन्दु क्रमांक ग से संबंधित

विगत 2 वर्षों में कृषकवार प्राप्त हुई शिकायतों का विवरण :-

क्रं.	शिकायत क्रं.	कृषक का नाम	जिला उपभोक्ता फोरम में की गई शिकायत की तिथि
1	2	3	4
1	98/2014	श्री सुदर्शन सिंह आ. बलवीर सिंह चौहान	24 नवम्बर 2014
2	12/2015	श्री मनोहर आ. गौर लाल	20 मार्च 2015
3	12/2015	श्री पवन सिंह आ. श्री नरेन्द्र सिंह पवार	31 मार्च 2015

(H/mer  
DDO(Seed))

प्रबंधक वित्त

अनुभाग अधिकारी  
म० ५० बालन  
कृषि विभाग (शाखा - 2).

विद्युत कृषि 5203 6430

प्रश्नांश ग व घ का "परिशिष्ट-3"

कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला-खरगोन

तारांकित प्रश्न क्रमांक 6430

क्र.	वर्ष	फसल	विकासखण्ड का नाम	कि गई शिकायतों की संख्या	शिकायत कर्ताओं की संख्या	शिकायत का संबंध	शिकायतों पर की गई कार्यवाही
1	2014-15	सोयाबीन	बड़वाह	8	8	अंकुरण	जिला स्तरीय निरीक्षण टीम गठित कर शिकायतकर्ता कृषकों के खेतों का निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार सामान्यतः सोयाबीन फसल के 10 से 40 प्रतिशत पौधे पाये गये। निरीक्षण दल द्वारा कृषकों को अगती मक्का एवं सब्जियाँ बोने की सलाह दी गई।
2	2015-16	गहूँ	—	निरंक	निरंक	—	निरंक
		सोयाबीन	बड़वाह	26	26	अंकुरण	शिकायत के परिपेक्ष में संस्था से बीज नमूना परिक्षण हेतु बीज परिक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर भेजा गया था। साथ ही जिला स्तरीय निरीक्षण गठित कर कृषकों के खेतों का निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया गया था। बीज परिक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर से बीज अमानक पाये जाने पर संबंधित बीज उत्पादक संस्था एकलव्य बीज उत्पादन एवं क्रय विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित बड़वाह का कार्यालयीन आदेश क्रमांक 5666 दिनांक 30.09.2015 से लायसेंस निरस्त किया गया है।
		सोयाबीन	महेश्वर	38	38	ऑफ टाईप पौधे	शिकायत के परिपेक्ष में फसल निरीक्षण टीम द्वारा शिकायतकर्ता कृषकों के खेतों का निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार संबंधित बीज उत्पादक संस्था श्री रेवा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित गोगावां को कार्यालयीन आदेश क्रमांक 6707 दिनांक 14.12.2015 से लायसेंस निलम्बन किया गया है।
		गहूँ	बड़वाह	4	4	ऑफ टाईप प्लॉट	फसल निरीक्षण दल द्वारा खी फसल निरीक्षण के दौरान ऑफ टाईप किस्म के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई जिनके खेतों का निरीक्षण कर किया जाकर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार (1) बीज स्रोत का ज्ञात न होने से किस्म की पुष्टि न होना, (2) प्रति वर्ग मीटर में निर्धारित पौध संख्या 50-60 प्रतिशत है, (3) प्रक्षेत्र में वालेट्ट्री प्लॉट, ऑफ टाईप पौधों की संख्या को बढाता है, (4) सीड ड्रिल की सफाई न होना भी ऑफ टाईप पौधों की संख्या को बढाता है, (5) कृषकों द्वारा निर्धारित बीज दर की तुलना में लगभग दो गुना बीज बोया गया जो ऑफ टाईप पौधों के प्रतिशत को प्रभावित करता है।

44x  
अनुभाग अधिकारी  
मं ५० शासन  
कृषि विभाग [शाखा - 2].

उप संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास  
जिला खरगोन